अपील सूचना अधिकार संख्या 109/2019 (RCMS 2019/00278) श्री प्रताप सिंह चुनेजा पुत्र श्री जीत सिंह निवासी चक 12 जी डी तहसील नई मण्डी उपखण्ड जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.03.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी **श्री प्रताप सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2019 से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. शिवकुमार डेलू (PA) SDM, Anoopgarh की प्रथम नियुक्ति दिनांक कब हुई।
2. नियुक्ति आदेश की प्रमाणित चित्रप्रति की नकल देवें।
3. प्रथम नियुक्ति कार्यालय का नाम व पद का विवरण देवें।
4. नियुक्ति दिनांक से आदिनांक तक कौन–कौन से कार्यालय में किस किस पद पर नियुक्त रहे है कि जानकारी दी जावे।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने पत्रांक प.25(क)/सूकाअ/19/1983 दिनांक 11.11.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना अधोहस्ताकर्ता की राय में एक व्यक्तिगत सूचाना है। जिसका प्रकटन किया जाना किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबध नही रखता है तथा व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण है। ऐसी स्थिति में आप द्वारा चाही गई सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8(1)(ञ) के तहत देय नहीं है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित व व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 11.11.2019 से जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर